अखिल भारतीय मंडल लेखा अधिकारी एवं मंडल लेखाकार संघ के पदाधिकारियों के साथ उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (एचआर एंड ट्रेनिंग) द्वारा 09.03.2021 को अपराहन 03:00 बजे आयोजित बैठक पर चर्चा का रिकार्ड नोट

1. 09.03.2021 को अपराहन 03.00 बजे समिति कक्ष सं. 510 में अखिल भारतीय मंडल लेखाधिकारी एवं मंडल लेखाकार संघ के पदाधिकारियों के साथ उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (एच आर एंड ट्रेनिंग) द्वारा एक एजेंडा बैठक आयोजित की गई। बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची अनुबंध क में दी गयी है।

2. प्रारंभ में, उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अखिल भारतीय मंडल लेखाधिकारी एवं मंडल लेखाकार संघ के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और आशा व्यक्त की कि आगामी मंत्रणाएं सार्थक और उपयोगी होंगी।

अनुबंध- क

09.03.2021 को अपराहन अखिल भारतीय मंडल लेखाधिकारी एवं मंडल लेखाकार संघ के पदाधिकारियों के साथ उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (एच आर एंड ट्रेनिंग) द्वारा आयोजित बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों की सूची

सर्व श्री/श्रीमती

नमिता सेखों	उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (एच आर एंड ट्रेनिंग)
प्राची पाण्डेय	प्रधान निदेशक (स्टॉफ)
वी.एस. वेंकटनाथन	ओएसडी/एसी (एन)
प्रेम कुमार जारूहार	वरि. प्रशासनिक अधिकारी (स्टॉफ नियुक्ति III)
एम विजया शांति	वरि. प्रशासनिक अधिकारी (स्टॉफ-जेसीएम)
निर्मल कुमार प्रधान	संघ के महासचिव
के.के. शर्मा	संघ के अध्यक्ष
राकेश पुरोहित	अपर महासचिव
एस.के. विज	संयुक्त महासचिव

मांग सं.1 **<u>संवर्ग समीक्षा के लिए संवर्ग समीक्षा समिति का गठन</u>**

स्पष्टीकरण:

सरकारी खर्च का काफी बड़ा भाग विकास निर्माणकार्यों जैसे सड़क, पुल और भवन निर्माण आदि पर व्यय होता है और राज्य सरकारों के लोक निर्माण विभाग द्‌वारा कार्य किया जाता है। निर्माणकार्य विभाग की डिवीजन कार्यान्वयन की प्रमुख इकाई होती है और मंडल लेखाकार को सभी वित्तीय लेन-देनों की पूर्व-जांच सौंपी जाती है। पुन: संरचना के लिए मुख्य बिंदू नीचे इस प्रकार दिये गये हैं:

I. उप मंडल अधिकारी और सीपीडी के स.ले.अ अर्थात् लेवल 8 के समतुल्य मंडल लेखाकार के पद के अनुरूप प्रविष्टि ग्रेड के लिए वेतन का न्यूनतम स्तर

स्पष्टीकरण

सीपीडब्ल्यूडी में मंडल लेखाकार का पद लेवल-8 के वेतनमान में शहरी विकास मंत्रालय से सहायक लेखा अधिकारी द्‌वारा भरा जा रहा है। समान कार्यों के निष्पादन के बावजूद आईए एंड एडी के अंतर्गत डीए संवर्ग का प्रारंभिक वेतन मान लेवल 6 में ही बना हुआ है।

मांग पर अधिकारिक प्रतिक्रिया:

विभाग में कर्मचारियों की वेतन संरचना केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार द्‌वारा इसकी स्वीकृति पर आधारित है। 7वें सीपीसी का ज्ञापन प्रेषित करते हुये मंडल लेखाकार संवर्ग के लिए उच्च वेतनमान का प्रस्ताव किया गया था और उसे सीपीसी द्‌वारा स्वीकार नहीं किया गया। डीएआई ने यह आश्वासन दिया कि मामले को पुन: मंत्रालय के साथ उठाया जाएगा।

II. मंडल लेखाकार ग्रेड परीक्षा (डीएजीई) का उन्नयन:

स्पष्टीकरण

कुछ नये पेपर जोड़कर और एसएएस की प्रास्थिति समतुल्य मानकर डीएजीई एसएएस (वर्क्स) नाम बदलकर डीजीई परीक्षा का उन्नयन करके आईए एंड एएस में मंडल लेखाकार संवर्ग के लिए पदोन्नति का माध्यम बनाया जाए। एसएएस परीक्षा उत्तीर्ण करके, मंडल लेखाकार संवर्ग अन्य विभागों/अन्य राज्यों में प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन कर सकता है। आय कर, आईएफएमएस आदि के कंप्यूटरीकरण के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ज्ञान के क्षेत्र में वृद्‌धि अनिवार्य है। सीपीडब्ल्यूडी व्यय/संविदाओं में वृद्‌धि के कारण परिवर्तित कार्य स्वरूप के मद्‌देनजर पाठ्‌यक्रम भी पुराना हो गया है।

मांग पर आधिकारिक प्रतिक्रिया

यह कहा गया है कि डीएजीई वेतन लेवल 6 पर मंडल लेखाकार के पद हेतु तथा एसएएस परीक्षा वेतन लेवल 8 पर एएओ के लिए पुष्टि परीक्षा की प्रवृति के हैं। एसएएस परीक्षा के स्तर तक डीएजीई का उन्नयन मंडल लेखाकार संवर्ग की पुष्टि में कठिनाई पैदा करेगा। अत: परीक्षा का उन्नयन और पुन: नामकरण पर सहमति नहीं हुई है। हालांकि, डीएआई ने यह आश्वासन दिया कि संवर्ग में कर्मचारियों के ज्ञान में वृद्धि और कौशल के उन्नयन के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाएगा।

एसएओ संवर्ग से आईए एंड एएस में प्रवर्तन के प्रावधान के अलावा मंडल लेखाकार संवर्ग से पदोन्नति द्वारा आईए एंड एएस के पदों को भरने के लिए आईए एंड एएस (भर्ती) नियमावली में अलग प्रावधान/प्रतिशतता पर सहमति नहीं हुई थी। इसके अलावा, आईए एंड एएस के जेटीएस की पदोन्नति के लिए एसएएस योग्यता अनिवार्य है। मुख्य संवर्ग (एएओ) में आए बिना विभागीय योग्यता प्राप्त करने के लिए डीए संवर्ग के कर्मचारियों को एसएएस परीक्षा में शामिल होने की अनुमति की संभावना का पता लगाया जाएगा।

III. अंतर्राष्ट्रीय संबद्धता के लिए मंडल लेखाकार संवर्ग की क्षमता का अनुकूलन:

स्पष्टीकरण

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, भारत की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था है और इंटोसाई जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों का एक सदस्य है। यह सुझाव दिया जाता है कि इस संवर्ग के लिए अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान कार्यक्रम संस्थापित किए जा सकते हैं। यह संवर्ग को यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में कार्य करने की अनुमति प्रदान करेगा।

मांग पर आधिकारिक प्रतिक्रिया:

निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात्, मंडल लेखाकार संवर्ग यूएन लेखापरीक्षा इत्यादि जैसे अंतर्राष्ट्रीय कार्यभार के लिए पात्र है।

इस एजेंडा मद को समाप्त माना जाए।

IV. अन्य पदों के साथ डीलिंकिंग समता

स्पष्टीकरण

महालेखाकार कार्यालय के लेखाकार/वरिष्ठ लेखाकार के पदों के साथ समता को डीलिंक करने और आईए एंड एडी के सहायक लेखा अधिकारियों (एएओ) और वरिष्ठ लेखा अधिकारियों (सी.एओ) के पदों के साथ समता स्थापित करने के लिए अनुरोध किया जाता है।

मांग पर आधिकारिक प्रतिक्रिया:

एएंडई कार्यालयों में मंडल लेखाकार संवर्ग के पदों और विभिन्न पदों में अलगाव है और उनकी संवर्ग वेतन संरचना है। यह आश्वासन दिया गया कि समता के मामले को मंत्रालय के साथ उठाया जाएगा।

2. <u>गतिरोध</u>

स्पष्टीकरण

मंडल लेखाकार के आरंभिक पद से वरिष्ठ मंडल लेखा अधिकारी के पद तक पहुंचने के लिए 20 से 25 वर्ष लगते हैं।

मांग पर आधिकारिक प्रतिक्रिया

डीएआई ने आश्वासन दिया कि गतिरोध के मुद्दे पर मुख्यालय में पुनर्विचार किया जाएगा। संघ से भी इस संबंध में टिप्पणियां/प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया था तथा उनकी उपयुक्तता के अनुसार इस पर मुख्यालय में विचार किया जाएगा।

3. <u>तैनाती तथा स्थानांतरण नीति</u>

एक विशेष मंडल/स्टेशन में तैनाती के उद्देश्य से तैनाती की अवधि (12 वर्ष) के संबंध में पत्र संख्या 502 दिनांक 20.03.2015 द्वारा जारी मौजूदा निर्देश सवंर्ग के सदस्यों के लिए बहुत कठोर हैं तथा वे अन्य कठिनाइयों नामत: एक विशेष स्थान पर बसना, चिकित्सा सुविधाओं का लाभ लेना आदि के साथ-साथ अपनी सन्तान के कैरियर की योजना बनाने में वस्तुत: पंगु बन गए हैं।

मांग पर आधिकारिक प्रतिक्रिया:

2012 में संघ की सिफारिशों के अनुसार तैनाती तथा स्थानांतरण नीति में एक विशेष मंड़ल/स्टेशन पर तैनाती की 12 वर्ष की शर्त शामिल थी। हालांकि, यह आश्वासन दिया गया कि 12 वर्ष की अवधि को कम करने पर विचार किया जाएगा।

4. **<u>डीए संवर्ग के सेवारत सदस्यों के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) का विस्तारण</u>**

स्पष्टीकरण

वर्तमान में सीजीएचएस के लाभ केवल संवर्ग के सेवानिवृत सदस्यों के लिए उपलब्ध हैं परन्तु सीजीएचएस के लाभ संवर्ग के सेवारत सदस्यों के लिए विस्तारित नहीं किए गए है। वर्तमान में कार्यरत संवर्ग सदस्य संबंधित राज्य सरकारों के चिकित्सा नियमों द्वारा शासित किए जाते हैं। राज्य सरकारों द्वारा दी गई चिकित्सा सुविधाएं अपर्याप्त हैं तथा प्रतिपूर्ति के नियम जटिल हैं। इसीलिए संवर्ग सदस्य पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं से वंचित हैं। सीजीएचएस अस्पतालों के बढ़े हुए नेटवर्क के कारण यह अधिक सुगम बन गया है तथा इसके लाभ वर्तमान प्रणाली से अधिक स्पष्ट सुविधा दर्शाते है। इसीलिए संवर्ग के सेवारत सदस्यों को सीजीएचएस के दायरे के अन्तर्गत लाने की कृपा करें।

मांग पर आधिकारिक प्रतिक्रिया:

डीएआई ने आश्वासन दिया कि मुद्दे की जांच की जाएगी तथा यदि आवश्यक हुआ तो इसे मंत्रालय के साथ उठाया जाएगा।

5. <u>01.01.2006 से सीनियर डीएओ को ग्रुप ए ओहदा प्रदान करना</u>

स्पष्टीकरण:

एआईएफ ने माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्र.बैंच) नई दिल्ली ओए सं. 2966, दिनांक 13.11.2013 के निर्णय के आधार पर 01.01.2006 से सीनियर डीएओ को प्रासंगिक लाभों सहित ग्रुप ए ओहदा प्रदान करने के उचित आदेशों हेतु अनुरोध किया था, परंतु सीनियर डीएओ को 17.01.2020 से ग्रुप ए ओहदा दिया गया है। कृपया सीनियर डीएओ को 01.01.2006 से प्रासंगिक लाभ सहित ग्रुप ए ओहदा देने हेतु आवश्यक आदेश जारी किए जाएं।

मांग पर आधिकारिक प्रतिक्रिया:

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21.08.2018 के अनुपालन में वरि.ले.अधि. का पद 09.04.2009 से ग्रुप 'ए' के रूप में वर्गीकृत किया गया था। वरिष्ठ मंडल लेखा अधिकारी हेतु ऐसा कोई न्यायालय आदेश नहीं था। चूंकि वरि.ले.अधि. और वरिष्ठ मंडल लेखा अधिकारी का वेतनमान एक समान है, अत: सीनियर डीएओ के पद को गजट अधिसूचना दिनांक 17.01.2020 द्वारा ग्रुप 'बी' से ग्रुप 'ए' में वर्गीकृत किया गया था।

अत:, 01.01.2006 से पूर्वव्यापी प्रभाव से ग्रुप 'ए' ओहदा प्रदान करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता।

इस एजेंडा मद को समाप्त माना जाए।

6. <u>सीनियर डीएओ के रूप में पदोन्नति पर वेतन निर्धारण में विषमता</u>

स्पष्टीकरण:

कुछ राज्यों के महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालयों में कुछ मामले ऐसे है जहां 1 जनवरी 2016 से पूर्व सीनियर डीएओ के रूप में पदोन्नत वरिष्ठ संवर्ग सदस्य सीसीएस (आरपी) रूल्स, 2016 की संशोधित वेतन संरचना में 1 जनवरी, 2016 को या इसके बाद सीनियर डीएओ के रूप में पदोन्नत हुए अपने कनिष्ठों से कम वेतन प्राप्त कर रहे है। इसलिए, संशोधित वेतन संरचना में ऐसे वरिष्ठ सदस्यों के वेतन को उस उच्च पद में उनके कनिष्ठों हेतु यथा निर्धारित वेतन के बराबर राशि तक बढाए जाने की आवश्यकता है। प्रधान महालेखाकार (ले एवं हक) ओडिशा और झारखंड के कार्यालय ने मामला मुख्यालय को भेजा है।

मांग पर आधिकारिक प्रतिक्रिया:

इसी प्रकार की विसंगतियां 01.01.2016 से पहले और 01.01.2016 के बाद पदोन्नत हुए वरि.ले.अ. के बीच भी आई है। वरि.ले.अ. (पीबी 3 ग्रेड पे ` 5400/-) जो 6वें सीपीसी में ले.अ. (पीबी 2 ग्रेड पे ` 5400/-) के बराबर या अधिक वेतन प्राप्त कर रहे थे, का वेतन 7वें सीपीसी में 01.01.2016 को ले.अधि. की अपेक्षा कम स्तर पर निर्धारित किया गया है। इस मामले को मंत्रालय को भेजा गया है और उनका उत्तर प्रतीक्षित है। सीनियर डीएओ के रूप में पदोन्नति पर वेतन निर्धारण में विषमता का समाधान समान तरीके से किया जाएगा।